संख्या–)64बी / क0नि0–6–2017–01(बी) / 2017

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. कृषि उत्पादन आयुक्त,
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव,
   वित्त, संस्थागत वित्त, कृषि, सहकारिता, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स, राजस्व
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0
5. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ0प्र0

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनु0–6 लखनऊ दिनांक: 27 जुलाई, 2017

विषय– प्रदेश सरकार की लघु एवं सीमांत किसानों के उन्नयन एवं सतत् विकास हेतु फसल ऋण मोचन योजना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या– 134बी / 01 (बी) – स0 वि0क0नि0 – 6 / 2017 दिनांक 07 अप्रैल, 2017, संख्या– 540बी / 01(बी)–स0वि0क0 नि0–6 / 2017 दिनांक 24 जून, 2017 के अनुक्रम में पत्र संख्या–565 बी / 01(बी)–स0वि0क0 नि0–6 / 2017 दिनांक 30 जून, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। जिनके माध्यम से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर विषयगत मामले में निर्मित की गयी योजना प्रसारित करते हुये उसकी क्रियान्वयन के संबंध में दिशा–निर्देश आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रसारित किये गये हैं।

2. उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत मामले में सम्यक् विचारोपरान्त उक्त योजना के कियान्वयन के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :–

1. जिला स्तरीय समिति के उत्तरदायित्व संबंधी शासनादेश दिनांक 24 जून, 2017 के पृष्ठ–14 के बिन्दु 4 में "समिति द्वारा चिन्हित अर्ह किसानों की सूची वेब–पोर्टल पर समिति के सह–सचिव के डिजीटल हस्ताक्षर के माध्यम से चिन्हांकित की जायेंगी"। के स्थान पर "समिति द्वारा चिन्हित अर्ह किसानों की सूची वेब–पोर्टल पर समिति के सचिव एवं सह–सचिव के डिजीटल हस्ताक्षर के माध्यम से चिन्हांकित की जायेंगी"।
2. कतिपय बैंकों द्वारा जो डिजीटल सिगनेचार के माध्यम से उपलब्ध कराये गये डाटा उसमें अभी कतिपय डाटा मैपिंग में त्रुटि संज्ञान में आ रही है। डाटा वित्तीय प्रकृति / स्वरूप को देखते हुये यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में

किसी प्रकार का इडिट किये जाने का विकल्प दिया जाना उचित नहीं होगा और समस्त बैंकों को डिजीटली लॉक किया जा चुका डाटा में मैपिंग त्रुटि के विषयगत अपने राज्य स्तरीय बैंक नोडल के माध्यम से समुचित प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत करें, जिससे उस पर अग्रेत्तर विचार–विमर्श कर निर्णय लिया जायेगा।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि योजना में समिति के दायित्वों, जागरूकता अभियान अनुश्रवण हेतु रिपोर्ट का प्रेषण एवं शिकायत निवारण संबंधी प्रसारित किये गये संदर्भित शासनादेश दिनांक 30 जून, 2017 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप समस्त कार्यवाही समयान्तर्गत की जाय, ताकि योजना के समयबद्ध ढंग से उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

4. अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया विषयगत योजना में उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अग्रेत्तर कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ कर दी जाय और शासन को भी तद्नुसार अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
अपर मुख्य सचिव

पृष्ठांकन संख्या– बी/क0नि0–6–2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टॉफ अफसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. विशेष सचिव, (श्री नीलरतन कुमार) वित्त विभाग।
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, योजना भवन लखनऊ।
5. अनुभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव